तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **कानाराम बनाम आम्बाराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 152/2014**	

24.07.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा गंगासरा, पटवार हल्का अचलपुर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 46 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 4.58 हैक्टैयर, खसरा संख्या 53 रकबा 3.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 58 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा संख्या 61 रकबा 2.93 हैक्टेयर जुमले रकबा 12.15 हैक्टेयर आई हुई है। इस प्रकार ग्राम बापूनगर के खसरा संख्या 128 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा संख्या 751 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 752 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 848 रकबा 0.08 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.11 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक खसरे में 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा उस अनुसार अपनी स्वैच्छा से प्रार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी रेकोर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा बनता है तथा प्रार्थी अपने बंट की भूमि को अलग बंटवाड़ा करवाने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण को कई बार बंटवाड़ा हेतु निवेदन किया परन्तु सहखातेदार बंटवाड़े हेतु तैयार नहीं हुए उल्टे प्रार्थी की हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि किसी अन्य बदमाश व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी। मौके पर कुल आराजी के 1/6 हिस्से में प्रार्थी का कब्जा काश्त है इसलिए प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थीगण उक्त आराजी को अन्य बदमाश व्यक्ति को बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पिता के जीवनकाल में ही सभी पक्षकारान को भूमि अलग बंट दे दी थी तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त है। तथा उसी अनुसार काश्त करते है अच्छी बुरी भूमि किसी के कम, किसी के ज्याद है। भूमि बेचान करने की ऐलानियां धमकी नही दी। प्रार्थी ने सारे मनगंढत एवं गलत तथ्य लिखे है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन व गलत होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वा[illegible] नि[illegible] तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि [illegible] उक्त आराजी का मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये [illegible]

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 16:42:35 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वा[illegible] साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट–ट्रैक, सांचोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रैक) सांचोर